

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल aao2.dta@Rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-आ/

दिनांक 19.04.2018

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4 एवं सा.वि.) विभाग के पत्र क्रमांक एफ10 (51)वित्त/व्यय-4 एवं सा.वि. /2016 पार्ट-आ दिनांक 02.02.2018 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय सुधार समिति में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का सेकिण्डमेंट बेसिस के आधार पर अग्रिम आदेशों तक निम्न कार्मिक का पदस्थापन कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय/विभाग में किया जाता है :-

| क्र.सं. | लिंक नम्बर | नाम कार्मिक सर्वश्री      | पदस्थापन कार्यालय का नाम           | नवपदस्थापन कार्यालय का नाम       |
|---------|------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2          | 3                         | 4                                  | 5                                |
| 1       | 9360       | रविशंकर खण्डेलवाल, सलेअ-आ | निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर | चेयरमैन, व्यय सुधार समिति, जयपुर |

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

दिनांक 19.04.2018

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-आ/82

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 चेयरमैन, व्यय सुधार समिति, जयपुर ।
- 3 निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ।
- 4 संबंधित कोषाधिकारी शहर जयपुर ।
- 5 श्री रविशंकर खण्डेलवाल, सलेअ-आ कार्यालय निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
- 7 उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
- 8 अतिरिक्त निदेशक महोदया ।
- 9 रक्षित पत्रावली ।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-आ]